(175)

(282)

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म.प्र.

निगरानी 2426-II-15

Rs. 20/-

213
22.6.15

जयनारायण पिता श्री दुलीचन्द उम्र 85 साल निवासी ग्राम बिरसिंहपुर तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म.प्र. ---------- निगरानीकर्ता/आवे.

बनाम

शासन म.प्र. द्वारा जिलाध्यक्ष सतना जिला सतना म.प्र. ---------- गैर निगरानीकर्ता / अनावेदक

निगरानी विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील मझगवां, जिला सतना म.प्र. द्वारा प्र.क्र. 41अ-68/ 12- 13 आदेश दिनांक- 27. 1. 2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू- राजस्व - संहिता . सन् 1959 ईसवी.

अजय पाण्डेय, T.S.O. दिनांक 22-06-15 को प्रस्तुत किया गया।
22.6.15
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक..................
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक.................. को प्राप्त
मान्यवर,
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी के आधार निम्न लिखित है:-

1:-यहकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त कियेजाने योग्य है।

2:-यहकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गांव के ही व्यक्ति नरेन्द्र तिवारी के दर्शाये झूठा प्रतिवेदन अतिक्रमण के संबंध मे प्रस्तुत किया, जबकि उपरोक्त प्रतिवेदन से पूर्व नतो कोई नाप की गयी, और ना ही कही अतिक्रमण पाया गया, किन्तु फिर भी बेदखली का आदेश पारित करने की भूल की है, तथा सीधे एक पक्षीय रूपसे आदेश पारित कर जेल वारंट हेतु आदेशित करने एवं बेदखली का आदेश पारित किया है। जो निरस्त कियेजाने योग्य है।

3:- यहकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक- 19. 1. 2015 को नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया गया, दिनांक- 27. 1. 2015 को नोटिस प्राप्त

क्रमशः 2

जयनारायण

(175)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

क्रमांक निग0 / 2426–दो / 2015 जिला–सतना

जयनारायण / शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अजय पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मझगवां के प्रकरण क्रमांक 41 / अ–68 / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 27.01.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 08.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	